राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 1435/2023

शिशराम रोलानिया —अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, गृह विभाग, सचिवालय, जयपुर।
2. अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
3. महानिदेशक पुलिस, पुलिस मुख्यालय, लालकोठी, जयपुर।

—प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 17.05.2023
आदेश की दिनांक : 07.10.2024

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री सुखदेव सिंह सोलंकी, अधिवक्ता
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री पुष्पेन्द्रपाल सिंह, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

प्रस्तुत अपील के अनुसार अपीलार्थी नियुक्ति की तिथि से ग्रेड वेतन वृद्धि का हकदार है, लेकिन प्रत्यर्थी विभाग अपीलार्थी को दो ग्रेड वेतन वृद्धि नहीं दे रहे हैं, अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष कई अभ्यावेदन प्रस्तुत किए गए हैं और साथ ही दिनांक 23.12.2019 को कानूनी नोटिस भी दिया गया है और अपीलार्थी को दो ग्रेड वेतन वृद्धि का लाभ नहीं दिया है। प्रत्यर्थी विभाग ने अपीलार्थी की सेवा को सीधी भर्ती की सेवा माना है जो कानून की नजर में उपयुक्त नहीं है और आलौच्य आदेश दिनांक 06.12.2019 (अनुलग्नक–1) पारित किया है, जो अपीलार्थी की सेवा पर लागू नहीं होता है। आलौच्य आदेश दिनांक 06.12.2019 अपास्त करने योग्य है। अपीलार्थी लगातार वेतन से वंचित है। प्रत्यर्थी विभाग ने समान पद समान वेतन के सिद्धांत का पालन नहीं किया। अपीलार्थी वरिष्ठ सहायक के पद पर है, इसलिए वह उक्त पद पर सभी परिणामी लाभों का हकदार है। अपीलार्थी ने माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 1321/2020 दायर की है, जिसमें पारित निर्णय दिनांक 18.04.2023 (अनुलग्नक–2) द्वारा माननीय अधिकरण मके समक्ष अपील दायर करने का आदेश पारित किया गया। अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति राजस्थान मृतक आश्रित सरकारी सेवकों की अनुकंपा नियुक्ति नियम, 1996 (संक्षेप में "अनुकंपा नियुक्ति नियम 1996") दिनांक 23.07.2008 (अनुलग्नक–3) द्वारा अनुकंपा नियुक्ति के आधार पर कनिष्ठ श्रेणी लिपिक के पद पर हुई थी। अपीलार्थी को 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि

के दौरान 17.12.2009 को आयोजित टाइप टेस्ट में उत्तीर्ण घोषित किया गया तथा प्रत्यर्थी विभाग द्वारा आदेश दिनांक 16.02.2010 (अनुलग्नक–4) द्वारा परिणाम जारी किया गया है। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 06.08.1010 (अनुलग्नक–5) द्वारा अपीलार्थी को वेतन श्रृंखला 5200–20200 में दिनांक 04.08.2010 से कनिष्ठ लिपिक के पद पर नियमित (स्थाई) किया गया। अनुकंपा नियुक्ति नियम 1996 के नियम 09 के अनुसार अपीलार्थी नियुक्ति की तिथि से ग्रेड वेतन वृद्धि का हकदार है, लेकिन प्रत्यर्थी विभाग अपीलार्थी को दो ग्रेड वेतन वृद्धि प्रदान नहीं कर रहे हैं। इस संबंध में अपीलार्थी ने दिनांक 11.12.2018 (अनुलग्नक–6) द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया, लेकिन विभाग द्वारा अपीलार्थी के अभ्यावेदन पर कोई कार्यवाही नहीं की गई। अपीलार्थी ने अधिसूचना और वेतन वृद्धि के बारे में जानकारी के लिए कई आरटीआई आवेदन दायर किए, लेकिन प्रत्यर्थी विभाग द्वारा कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दिया गया, अधिसूचनाओं के साथ–साथ नियमों के अनुसार अपीलार्थी दो ग्रेड वेतन वृद्धि पाने का हकदार है। उत्तर के साथ आरटीआई आवेदन की प्रति अनुलग्नक–07 पर उपलब्ध है। प्रत्यर्थी विभाग ने अन्य कर्मचारियों को अनुकंपा नियुक्ति नियम 1996 के नियम 09 के अनुसार ग्रेड वेतन वृद्धि प्रदान की, लेकिन अपीलार्थी को वे लाभ नहीं दिए गए जिनके लिए अपीलार्थी हकदार है। अपीलार्थी के वेतनमान में अन्य कर्मचारियों से बहुत अंतर था (अनुलग्नक–8)। अपीलार्थी ने अपने अधिवक्ता जरिये दिनांक 23.12.2019 (अनुलग्नक–9) द्वारा एक कानूनी नोटिस दिया था, लेकिन अपीलार्थी को नोटिस का कोई जवाब नहीं दिया गया।

अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 06.12.2019 (अनुलग्नक–01) को अपास्त किया जावे तथा प्रत्यर्थी विभाग को निर्देशित किया जाए कि वे अभ्यावेदन (अनुलग्नक–04) और कानूनी नोटिस दिनांक 23.12.2019 (अनुलग्नक–09) पर विचार करें और वे नियुक्ति की तिथि से नियमित रूप से ग्रेड वेतन वृद्धि दें और बकाया राशि का भुगतान सभी परिणामी लाभों के साथ नियमों के अनुसार याचिकाकर्ता के पक्ष में 24 प्रतिशत की दर से ब्याज के साथ किया जावे।

प्रत्यर्थी विभाग की तरफ से जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि दिनांक 06.08.2010 को पुलिस अधीक्षक, झालावाड़ ने टंकण परीक्षा उत्तीर्ण करने एवं परिवीक्षाकाल पूर्ण करने पर वेतन श्रृंखला 5200–20200 में दिनांक 04.08.2010 से कनिष्ठ लिपिक के पद पर नियमित किया गया था। जिसको संशोधन करते हुये कनिष्ठ लिपिक की न्यूनतम 18 वर्ष से कम आयु होने पर दिनांक 04.08.2010 के स्थान पर 23.09.2010 से किया गया (अनुलग्नक–आर/1)। वादी द्वारा वेतनवृद्धि

के संबंध में प्रस्तुत अभ्यावेदन को पुलिस अधीक्षक, मुख्यालय राजस्थान जयपुर द्वारा दिनांक 20.06.2019 के द्वारा राज्य सरकार को मार्गदर्शन हेतु प्रेषित किया गया। जिस पर राज्य सरकार के पत्र दिनांक 06.12.2019 को मार्गदर्शन प्रदान किया गया। राज्य सरकार के दिनांक 06.12.2019 को प्राप्त मार्गदर्शन में अपीलार्थी की नियुक्ति 23.07.2008 है और इनके द्वारा टंकण परीक्षा दिनांक 01.02.2010 को उत्तीर्ण किया गया है, जो कि परिवीक्षाकाल की अवधि में ही है। परिवीक्षाकाल अवधि में केवल नियत पारिश्रमिक ही देय होता हैं। अपीलार्थी का परिवीक्षाकाल दिनांक 23.07. 2010 को पूर्ण होने के पश्चात एक वर्ष की सेवा होने पर इन्हें वार्षिक वेतन वृद्धि देय होगी। "यह राय वित्त विभाग की आईडी संख्या 101904672 दिनांक 27.11.2019 के द्वारा प्रदान की गई हैं। उक्त संबंध में प्राप्त मार्गदर्शन को पुलिस अधीक्षक मुख्यालय राजस्थान जयपुर के पत्र दिनांक 18.12.2019 के द्वारा अपीलार्थी को अवगत कराया गया (अनुलग्नक–आर/2)। राज्य कार्मिकों को छठे वेतनमान का लाभ दिनांक 01.01.2006 से दिया गया था। जिसमें कार्मिक को वेतनवृद्धि का लाभ एक वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण करने के उपरान्त आगामी 01 जुलाई को ही देय होगा (अनुलग्नक–आर/3)। राज्य सरकार के छठे वेतनमान 2006 के नियमो के अनुसार अपीलार्थी को वेतनवृद्धि नहीं दी गई। राज्य सरकार के पांचवें वेतनमान 1996 के बाद राज्य सरकार द्वारा दिनांक 01.01.2006 से छठे वेतनमान का नियम लागू होने के उपरान्त 01 जुलाई से वेतनवृद्धि लागू की गई। जिसमें एक वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण होने व आगामी 01 जुलाई को सेवा में रहने के उपरान्त ही वेतनवृद्धि देय होगी। अतः अपीलार्थी की अपील खारिज फरमाई जावे।

हमने उभय पक्ष के विद्वान् अधिवक्ता की अपील पर बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया गया।

प्रस्तुत अपील में आलौच्य आदेश दिनांक 06.12.2019 को चुनौती दी गई है, जिसमें अपीलार्थी को वेतन वृद्धि के संबंध में कार्मिक विभाग द्वारा प्रदत्त परामर्श के आधार पर निम्नानुसार कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया हैः–

> "श्री शीशराम रोलानिया, कनिष्ठ सहायक की नियुक्ति 23.07.2008 है और इनके द्वारा टंकण परीक्षा दिनांक 01.02.2010 को उत्तीर्ण किया गया है जो कि परिवीक्षाकाल की अवधि में ही है। परिवीक्षाकाल अवधि में केवल नियत पारिश्रमिक ही देय होता है। श्री शीशराम रोलानिया का परिवीक्षाकाल दिनांक 23.07.2010 को पूर्ण होने के पश्चात एक वर्ष की सेवा होने पर इन्हे वार्षिक वेतन वृद्धि देय होगी। यह राय

वित्त विभाग की आई.डी. संख्या 101904672 दिनांक 27.11.19 के द्वारा प्रदान की गई है।''

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का मुख्य कथन है कि अपीलार्थी को अनुकम्पात्मक नियुक्ति प्रदान की गई थी और उक्त अनुकम्पात्मक नियुक्ति नियम 1996 के नियम 9 के अन्तर्गत नियमित नियुक्ति से वेतन वृद्धि अनुज्ञात है जबकि प्रत्यर्थी विभाग द्वारा परिवीक्षाकाल अवधि समाप्ति के पश्चात एक वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर वेतन वृद्धि स्वीकृत करने के आदेश जारी किए गए है। साथ ही उनके द्वारा कार्मिक विभाग द्वारा जारी परिपत्र की ओर भी ध्यान आकृषित किया, जिसके अनुसार अपीलार्थी को प्रथम नियुक्ति तिथि से वेतन वृद्धि दिए जाने का निवेदन किया है। परिपत्र दिनांक 02.06.2008 के अनुसार नियुक्ति तिथि से ही वेतन वृद्धि देय है क्योंकि अपीलार्थी की मृतक आश्रित कर्मचारी के रूप में कार्यग्रहण दिनांक से ही नियुक्ति मानी जायेगी। उनका कथन है कि अपीलार्थी की नियुक्ति तिथि से काल्पनिक वेतन वृद्धि देय होगी और टंकण परीक्षा उत्तीर्ण करने से वार्षिक वेतन वृद्धि देय होगी। प्रत्यर्थी विभाग की ओर से निवेदन किया गया है कि अपीलार्थी को सेवा नियमों के अनुसार वेतन वृद्धि स्वीकृत की गई है, जिस कारण अपील अपास्त योग्य है।

राजस्थान सेवा नियम में भाग–iii के अध्याय 4 में वेतन के संबंध में प्रावधान है। इसमें नियम 24 में अधिसूचना दिनांक 13.03.2006 से निम्न परन्तुक जोड़ा गया हैः–

> ''परन्तु यह और की परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी ऐसी दरों पर नियत पारिश्रमिक प्राप्त करेगा जो समय–समय पर सरकार द्वारा विहित की जायें और उसको परिवीक्षा प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर, परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण करने के दिन के अगले दिन से, इस नियम के अधीन पद के वेतनमान का न्यूनतम वेतन अनुज्ञात किया आयेगा''

इसी प्रावधान के अनुरूप राजस्थान लोक सेवा आयोग/कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा नियमित रूप से चयनित कार्मिकों को वेतन भुगतान किया जाता है, जिसमें परिवीक्षा अवधि में नियत पारिश्रमिक भुगतान किया जाता है। उसके पश्चात परिवीक्षा अवधि पूर्ण करने पर नियमित वेतनमान में वेतन नियतन किया जाता है और उसके पश्चात एक वर्ष की सेवा सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर वेतन वृद्धि देय होती है। इसी अनुरूप अपीलार्थी के संबंध में आलौच्य आदेश द्वारा निर्देश जारी किए गए है। अपीलार्थी को नियुक्ति आदेश दिनांक 23.07.2008 में भी स्पष्ट रूप से अंकित है कि अपीलार्थी को परिवीक्षा अवधि के दौरान राज्य सरकार द्वारा

समय–समय पर नियत दर से मासिक पारिश्रमिक तीन हजार रुपये दिया गया और वेतनमान उक्त नियमों में उल्लेखित परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण करने की दिनांक से अनुज्ञात की जायेगी। जहा तक अनुकम्पात्मक नियुक्ति नियम के नियम 9 के संबंध में है यदि कर्मचारी द्वारा अनुकम्पा नियुक्ति नियमों के तहत निर्धारित समयावधि में अपेक्षित अहर्ता, प्रशिक्षण, टंकण परीक्षा समय पर उत्तीर्ण नहीं की जाती है, तो उस दशा में उसे जिस तिथि को अपेक्षित अर्हता अर्जित की जाती है उसे देय तिथी से काल्पनिक वेतन वृद्धि देय होगी एवं अपेक्षित अर्हता अर्जित करने पर वास्तविक लाभ देय होगा। चूंकि अपीलार्थी ने नियत समयावधि में टंकण परीक्षा उत्तीर्ण कर ली थी। अतः उसके मामले में काल्पनिक वेतन वृद्धि देने की स्थिति उत्पन्न नही होती है।

अतः उपर्युक्त विवेचन के दृष्टिगत अपीलार्थी की अपील बलहीन एवं सारहीन होने से अपील खारिज की जाती है।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य